तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिद्धराजसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर फलोदी जिला जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 29/2022	

18-04-2022

अपीलार्थी सिद्धराजसिंह पुत्र रतनाराम गोदारा, पता ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.12.2021 में उसके द्वारा (1) एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 7070/2021 (आदेश दिनांक 11.05.2021) के निर्देश की पालना हेतु आपके द्वारा किस प्रकार निस्तारण किया गया उस पत्रावली का प्रमाणित रिकॉर्ड, (2) एस.बी.सिविल रिट याचिका सं0 15190/2021 (आदेश दिनांक 27.10.2021) के निर्देश की पालना हेतु आपके द्वारा किस प्रकार निस्तारण किया गया उस पत्रावली का प्रमाणित रिकॉर्ड व (3) राजस्थान सरकार निदेशालय समंकित बाल विकास सेवांए के पत्र कमांक प. 11(3)10/मो./आईसीडीएस/2011/15819 जयपुर दिनांक 9.11.2016 के अनुसार आपके द्वारा विभागीय परिपत्र को ध्यान में रखते हुए इन याचिकाओं का निस्तारण किया गया क्या इस प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्र को स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर विभागीय परिपत्र का उल्लंघन नहीं हुआ है तो कारणं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर फलोदी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर, फलोदी) से जरिये पत्रांक 304, 305 दिनांक 21.02..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट कमांक 304 दिनांक 21.02.2022 में प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, परन्तु अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर फलोदी कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् सूचना चांगी गई वो सूचना प्रार्थी को दी गई या नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया।

द्वितीय रिपोर्ट कमांक 305 दिनांक 21.02.2022 में बतलाया कि प्रार्थी ने दिनांक 30.12.2021 को इस कार्यालय से सूचना व दस्तावेज चाहे थे जिसके संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र CDPO बाप को जरिये पत्र [illegible]/RTI/27 दिनांक 04.01.2022 को प्रेषित कर निर्देश दिया गया कि [illegible]रा चाही गई सूचना का संबंध CDPO से है अतः प्रार्थी को सूचना [illegible] उपरोक्त प्राप्त दोनों रिपोर्ट में लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर फलोदी) ने अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित किया गया, नहीं बतलाया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा बिन्दुवार चाही गई सूचना में अति. कलक्टर फलोदी कार्यालय स्तर से की गई कार्यवाही से संबंधित होने के उपरान्त भी सूचना नहीं दी गई, न वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जो

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अति. कलक्टर फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested